भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5106
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिकों का वेतन-निर्धारण

5106. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय ने डाक विभाग के पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन-निर्धारण के संबंध में डाक विभाग, डाक भवन के दिनांक 10.09.2024 के पत्र संख्या 02-61/2024-पीएपी में उल्लिखित आईडी नोट संख्या 3.1.2024-पीपी-पे (वि./रि-एम्प) पीटी 5 दिनांक 09.08.2024 द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) वेतन-निर्धारण से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की सर्किल-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या संचार मंत्रालय का डाक विभाग को वेतन निर्धारण प्रोफार्मा का नमूना फार्मेट वितरित करने का निर्देश देने का विचार है ताकि इसका अखिल भारतीय स्तर पर अनुपालन किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्र सरकार की नीतियों के निर्धारण और रक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करता है कि उसके द्वारा यथानिर्धारित स्वीकृत कतिपय मानक तथा मानदंडों का अनुपालन संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग सहित सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। इन मानकों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जैसे भर्ती, सेवा शर्तें, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्तियां और संबंधित मामले। डीओपीटी ने डाक विभाग को संबोधित दिनांक 31.07.1986 के अपने आईडी नोट सं. 3/1/2024-पीपी-पे (वि./रि-एम्प) पीटी 5 के माध्यम से केवल किसी

विशिष्ट मामले में दिनांक 31.07.1986 के का. ज्ञा. सं. 3/1/85-स्था.-(पे-II) के पैरा 16 (2) को लागू करने के संबंध में स्पष्ट किया था। दिनांक 09.08.2024 के उक्त आईडी नोट में सिविल पदों पर नियुक्त होने पर भूतपूर्व सैनिकों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के मामले में कोई नए सामान्य नीतिगत दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तदुपरांत, डाक विभाग ने डीओपीटी से प्राप्त हुए इस स्पष्टीकरण को दिनांक 10.09.2024 के पत्र सं. 02-61/2024-पीएपी के माध्यम से दिल्ली सर्कल को सूचित किया और इसकी प्रति सभी सर्कलों को प्रेषित की। इस प्रकार से अनुदेशों को शीघ्रता से परिचालित किया गया और उनके परिचालन में कोई विलंब नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) सिविल पदों पर नियुक्त सभी भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण, डीओपीटी के दिनांक 31.07.1986 के का. ज्ञा. सं. 3/1/58-स्था-(पे-II) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। जैसा कि डीओपीटी द्वारा दिनांक 09.08.2024 के अपने उक्त उल्लिखित आईडी नोट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 31.07.1986 के पूर्वोक्त का. ज्ञा. के पैरा 16 (2) के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ, सिविल पदों में अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और भंडार लिपिकों के रूप में नियुक्त हुए पूर्व-सामरिक (कॉम्बेटंट) लिपिक और स्टोरमैन पर लागू होता है। हालांकि, डाक विभाग में पिछले पांच वर्षों में किसी भी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और भंडार लिपिकों के पदों पर नहीं हुई है। इसलिए सभी सर्कलों में वेतन निर्धारण प्रोफॉर्मा का नमूना फॉर्मेट कार्यान्वयन हेतु परिचालित नहीं किया गया था।

*****